न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 56/2020 अपील (GCMS/2020/00060)
पंजीयन दिनांक - 15.01.2020
निर्णय दिनांक - 08.02.2022

1. **श्री माणकलाल पिता श्री नारू जी डांगी, निवासी डागलियों की मगरी, भुवाणा, तहसील बड़गावं, जिला उदयपुर।**

-अपीलार्थी

बनाम

1. **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गावं, जिला उदयपुर।**

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-

1. श्री रमेश नन्दवाना - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी

प्रकरण संख्या-16/2017, बउनवानी श्री माणकलाल बनाम तहसीलदार, बड़गावं में न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.2017 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 08.02.2022

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या-16/2017, बउनवानी श्री माणकलाल बनाम तहसीलदार, बड़गावं में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2017 के विरूद्ध न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर समक्ष पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में उक्त पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में प्राप्त होकर दिनांक 15.01.2020 को दर्ज की गई।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थी द्वारा राजस्व ग्राम भुवाणा तहसील बड़गावं जिला उदयपुर में स्थित आराजी संख्या-2983 रकबा 500 वर्गफीट भूमि किस्म मगरी चरागाह दर्ज है, पर अपीलार्थी द्वारा मगरी चरागाह पर एक पक्की दुकान निर्मित कर अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार, बड़गावं द्वारा धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर निर्णय दिनांक 21.11.2016 को पारित किया कि ‘‘**राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 व पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 165 में विद्यमान शक्तियों के अनुसरण में जो कार्यवाही की गई वो उचित है। एलआर एक्ट की धारा 95**

आबादी भूमियों से सम्बन्धित है। प्रस्तुत प्रकरण धारा 91 से सम्बन्धित होने प्रार्थी पटवारी हल्का द्वारा मौजा 2983 रकबा 500 वर्गफीट किस्म चरागाह मगरी के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाकर साक्ष्य व सबुत प्रस्तुत करने का मौका दियाा गया। इस सम्बन्ध में विपक्षी की ओर से प्रस्तुत प्रमाण पत्र में अंकित तथ्यों को गहराई से अध्ययन किया जो कि आबादी भूमि से सम्बन्धित हो सकती है। विवेचित भूमि जहां विपक्षी द्वारा अतिक्रमण किया गया वो विशुद्ध रूप से चरागाह भूमि है। अतः गैर सायल द्वारा जहां कब्जा किया गया वह चरागाह भूमि होने से गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि अतिक्रमी को उक्त भूमि से पूर्णरूप से बेदखल किया जाकर भू-राजस्व प्रतिवर्ष पूर्णाक में आंकडे 1/- का 50 गुणा 50/- शास्ति आरोपित की जाती है। शास्ती की मांग कायमी हेतु टीआरए व बेदखली हेतु भू.अ.नि. एवं पटवारी को लिखा जावें।"

- तहसीलदार, बड़गावं के निर्णय दिनांक 21.11.2016 से असंतुष्ठ होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए निर्णय दिनांक 24.07.2017 को पारित किया कि "**अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का भुवाणा की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार अपीलार्थी को लेण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा 91 का नोटिस जारी किया जाकर अपीलार्थी द्वारा दिये जवाब को पत्रावली पर लिया जाकर बाद सुनवाई आदेश पारित किया गया है जो आदेश पारित किया गया है वह विधि में प्रदत्त प्रावधानानुसार सही किया गया है। यह सही है कि अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमित भुमि किस्म चरागाह की होकर उस पर किसी को भी अतिक्रमण कर किसी प्रकार का अस्थायी या स्थायी निमार्ण करने की ईजाजत नहीं है। अपीलार्थी का यह कथन गलत है कि यह भूमि विकास पंचायत की होकर इस भूमि का ग्राम पंचायत भुवाणा द्वारा पूर्व हिताधिकारी श्रीमती शीला पत्नि रमेश हरकावत को पट्टा दिया गया था। न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा ऐसे किसी भी पट्टे की कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। नाही ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हो जिससे यह साबित होता हो कि यह भूमि किस्म चरागाह की नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील प्रथम दृष्टया स्वीकार योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचन कि अनुसार अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बड़गावं द्वारा अपने प्रकरण संख्या 09/16 में पारित आदेश दिनांक 21.11.16 में कोई कानुनी त्रुटी कारित नहीं की गई है। पारित आदेश विधि में प्रदत्त नियमों के परिपेक्ष्य में सही है। जिसमें कोई हस्तक्षेप करने की गुंजाईश नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी को खारिज किया जाता है।"**

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.2017 के विरुद्ध न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर समक्ष दिनांक 02.01.2018 को समय पेश की गई है। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में उक्त पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में प्राप्त होकर दिनांक 15.01.2020 को दर्ज की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों

से अभिलेख मंगवाये गये। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 08.02.2022 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि उक्त भूमि ग्राम विकास की होकर भुवाणा पंचायत के प्रकरण संख्या 50/1998 के द्वारा दिनांक 15.01.2000 को उक्त भूमि का पट्टा पूर्व हिताधिकारी श्रीमती शीला पत्नि रमेश हरकावत को प्रदान किया व उक्त पट्टे के आधार पर श्रीमती शीला द्वारा इस भूमि के एक हिस्से के विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 15.04.2006 को अपीलान्ट के हक में कर दिया। इस प्रकार उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट भूखण्ड का विधिवत आधिपत्यधारी होकर उसने उक्त भूखण्ड पर दुकान का निर्माण करवाया। अपीलान्ट के द्वारा किसी प्रकार को अतिक्रमण नहीं किया गया, न तो भूमि पूर्व में चरागाह थी, न आज है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. के भुप्रबन्ध विभाग का खसरा पत्रक सवत् 2034 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार आराजी नम्बर 2983 भूमि किस्म चरनोट अंकित नहीं है। यह भूमि किसी अन्य दीगर व्यक्ति को आवंटित किये जाने का उल्लेख है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायलय द्वारा कोई दस्तावेज पेश करने का आक्षेप निराधार है। तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा नोटिस जारी किये जाने से पूर्व कोई तफतीश नहीं की गई। भूमि को भुप्रबन्ध की कार्यवाही के दरम्यान चरनोट भूमि होना नहीं दर्शाया गया है। इसी आराजी के एक हिस्से का आवंटन भी हुआ, शेष हिस्सा पंचायत के नाम आया या नहीं आया, इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी अदालत मातहत को जुटानी चाहिए थी, तभी नोटिस जारी किया जाना था, परन्तु यह नहीं किया गया। अपीलान्ट का भुखण्ड चारों तरफ आबादी भूमि के बीच में है, जिसमें भुखण्ड के चारों तरफ मकान बने हुए है। आराजी नम्बर 1983 के सम्पूर्ण रकबे की वर्तमान स्थिति क्या है, इसका उल्लेख दोनों ही अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में नहीं किया गया है, जबकि यह आवश्यक था कि सम्पूर्ण रकबे की स्थिति का अवलोकन करके ही निर्णय पारित किया जाता, केवल मात्र आंशिक भूमि के सम्बन्ध में निर्णय पारित कर देने से न्यायल की मंशा की पूर्ति नहीं मानी जा सकती। अदालत मातहत ने प्रकरण में बहस उपरान्त निर्णय की पेशी नहीं दी गई, बार बार जाने पर भी निर्णय नहीं होने के बारे में बताया गया और दिनांक 21.12.2017 के अधिवक्ता को इस निर्णय के बारे में बताया और जानकारी होते ही हस्तगत अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश की गई जिसे स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों को अपास्त फरमाया जावें।

दौराने अपीलीय कार्यवाही अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 11/2018 बउनवानी शिवगंगा मिनरल्स बनाम उप तहसीलदार बड़गावं में पारित निर्णय दिनांक 12.07.2018 की प्रमाणित प्रति पेश की गई। उक्त प्रकरण में हस्तगत आराजी संख्या 2983 में किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में उप तहसीलदार, बड़गावं द्वारा आराजी संख्या 2983 पर मेसर्स शिवगंगा मिनरल्स को अतिक्रमी घोषित करने का आदेश दिनांक 06.03.2017 को पारित किया, उक्त आदेश के विरूद्ध मेसर्स शिवगंगा

मिनरल्स द्वारा जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 11.01.2018 से उप तहसीलदार, बड़गावं के आदेश को यथावत रखा। जिसकी अपील न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर समक्ष मैसर्स शिवगंगा मिनरल्स द्वारा की गई जिसमें न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के दोनों आदेशों को निरस्त किया। हस्तगत प्रकरण भी उसी आराजी संख्या 2983 पर कथित अतिक्रमण के सम्बन्धित है और तथ्य समान होने से न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के निर्णय दिनांक 12.07.2018 के दृष्टिगत वर्तमान अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय को अपास्त किया जावें।

विद्वान राजकीय पेरोकार द्वारा अपनी बहस में पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजों, तथ्यों इत्यादि के आधार पर गुणावगुण निर्णय पारित करने का अनुरोध किया।

हमनें उपस्थित अधिवक्ताओं की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली एवं प्रस्तृत निर्णय दिनांक 12.07.2018 का आद्योपांत अवलोकन किया।

सवप्रर्थम मयाद के बिन्दु को विनिश्चित किया जाना उचित समझते हुए मयाद अधिनियम कें प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों एवं बहस पर मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों की ताईद प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। ऐसी प्रखण्डित शपथ पत्र एवं हमारे द्वारा इस निर्णय के आगे के पेरा में वर्णित विवचेन के आधार पर प्रथमदृष्टया अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण/विधि विरूद्ध पाये जाने से हस्तगत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर निम्नानुसार निस्तारित की जा रही है।

जैसा कि उक्त पैरा में वर्णय किया गया है कि विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा दस्तावेज के रूप में न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 11/2018 बउनवानी शिवगंगा मिनरल्स बनाम उप तहसीलदार बड़गावं में पारित निर्णय दिनांक 12.07.2018 की प्रमाणित प्रति पेश की गई और कथन किया उक्त प्रकरण में हस्तगत आराजी संख्या 2983 में किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में उप तहसीलदार, बड़गावं द्वारा आराजी संख्या 2983 पर मेसर्स शिवगंगा मिनरल्स को अतिक्रमी घोषित करने का आदेश दिनांक 06.03.2017 को पारित किया, उक्त आदेश के विरूद्ध मेसर्स शिवगंगा मिनरल्स द्वारा जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 11.01.2018 से उप तहसीलदार, बड़गावं के आदेश को यथावत रखा। जिसकी अपील न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर समक्ष मैसर्स शिवगंगा मिनरल्स द्वारा की गई जिसमें न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के दोनों आदेशों को निरस्त किया। हस्तगत प्रकरण भी उसी आराजी संख्या 2983 पर कथित अतिक्रमण के सम्बन्धित है और तथ्य समान होने से न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के निर्णय दिनांक 12.07.2018 के दृष्टिगत वर्तमान अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय को अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता के उक्त उजर के परिपेक्ष्य में न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 11/2018 बउनवानी शिवगंगा मिनरल्स बनाम उप तहसीलदार बड़गावं में पारित निर्णय दिनांक 12.07.2018 का अवलोकन एवं परिक्षण किया। उक्त निर्णय में न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा विवेचित किया कि-

> ''→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड दोनों पत्रावलियों के निर्णयों का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम हम उप तहसीलदार बड़गांव द्वारा पारित निर्णय पर विवेचन करना उचित समझते हैं। उपतहसीलदार बड़गांव द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें यह वर्णित किया गया है कि आराजी नंबर 2983 में अतिक्रमण 5000 वर्गफिट के अतिक्रमण संबंधी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा यह लिखा है कि जवाब में जो विवरण दर्शाये गये हैं वह किसी अन्य भूमि के हो सकते हैं। आलोच्य भूमि गैर मुमकिन चारागाह है, जिसकी खातेदारी नहीं दी जा सकती, न ही नियमन किया जा सकता है।
>
> आश्चर्य जनक रूप से उप तहसीलदार बड़गांव के यहां अपीलान्ट द्वारा जो जवाब दिया गया है तथा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, उन पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई विवेचन नहीं किया गया है। पटवारी द्वारा भी जो रिपोर्ट हमारे द्वारा उपर वर्णित उपर प्रस्तुत की गयी है, वह रिपोर्ट भी इस निष्कर्ष पर नहीं ले जाती कि आराजी नंबर 2983 आबादी की भूमि नहीं हो। स्पष्टया मिलान क्षेत्रफल जो अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार हाल आराजी नंबर 2983 साबिक आराजी नंबर 2451 मीन एवं 2646 मीन से बने हैं। साबिक आराजी नंबर 2451 व 2646 जमाबन्दी संवत् 2031 से 34 तथा 2027 से 30 में स्पष्ट रूप से आबादी विकास पंचायत भुवाणा के नाम दर्ज है तथा जमाबन्दी संवत 2027 से 30 के अनुसार यह आराजी पूर्व में बिलानाम थी, जिसे ग्राम पंचायत को आबादी के रूप में आवंटित किया गया है एवं उक्त आवंटन आदेश के लिए दिनांक 24-02-1972 का जिला कलक्टर का आदेश एवं इसकी पालना में खोला गया नामान्तरकरण तथा जमाबन्दी संवत् 2027 से 30 में इसका दाखला तथा जमाबन्दी संवत् 2031 से 34 में आराजी नंबर 2451 एवं 2624 स्पष्ट रूप से आबादी विकास पंचायत भुवाणा के नाम दर्ज है। उपरोक्त साक्ष्यों से यह सुस्पष्ट होता है कि वर्तमान आराजी नंबर 2983 में साबिक आराजी नंबर 2451 एवं 2646 शामिल है तथा साबिक आराजी नंबर 2451 एवं 2646 ग्राम पंचायत भुवाणा को आबादी विकास हेतु आवंटित की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बड़गांव द्वारा न तो स्वयं मौके की जांच कर साबिक आराजी नंबरों का वर्तमान नंबरों से मिलान बाबत् पुष्टि की गयी है, न ही मिलान क्षेत्रफल के तथ्यों पर गौर किया गया है। पटवारी द्वारा भी किसी प्रकार की सुस्पष्ट रिपोर्ट नहीं दी गयी है।
>
> उप तहसीलदार बड़गांव द्वारा उपरोक्त समस्त साक्ष्यों को नजर अंदाज करते हुए सिर्फ इस आधार पर कि भूमि चारागाह दर्ज है, को आधार मानकर पूर्व मानसिकता के आधार पर निर्णय पारित किया है। यदि यह भूमि चारागाह की थी अथवा होती तो उक्त भूमि पर चार मंजिला होटल बनते समय पटवारी हल्का द्वारा अथवा

राजस्व कर्मचारों द्वारा मौन क्यों रखा गया, यह भी अत्यन्त विचारणीय प्रश्न है। प्रथम दृष्टया पेश शुदा साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान आराजी नंबर 2983 निसंदेह पंचायत को आबादी प्रयोजनार्थ आवंटित आराजी नंबर 2451 व 2646 शामिल हैं। तद्नुसार उप तहसीलदार बड़गांव के लिए यह वांछनीय था कि राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते विधि सम्मत जांच करवाकर वांछनीय होने पर उसकी दुरस्ती करवाते, न कि वर्तमान प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण प्रविष्टि को उपलब्ध साक्ष्यों को नजर अंदाज कर सिर्फ भूमि का वर्तमान में चारागाह दर्ज होने के आधार पर, सिर्फ उसे आधार मानकर बिना जांच किये उपलब्ध साक्ष्यों को नजर अंदाज कर सिर्फ कयासी आधार पर यह भूमि अन्यत्र कहीं हो सकती है लिखकर सरसरी निर्णय पारित किया है। यह भूमि अन्यत्र कहीं है तो यह भी विवेचन का विषय था, जिस पर उप तहसीलदार बड़गांव ने कोई गौर नहीं किया है। तद्नुसार उप तहसीलदार बड़गांव द्वारा पारित निर्णय प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण है तथा साक्ष्यों के विवेचन के बिना पारित निर्णय है।

जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा भी अपने अत्यन्त संक्षिप्त निर्णय में तहसीलदार के निर्णय को ही आधार बनाकर साक्ष्यों का विवेचन किये बिना, सिर्फ यह विवेचन किया है कि यह भूमि चारागाह भूमि है, जिसका नियमन नहीं किया जा सकता एवं खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। अपीलान्ट द्वारा जो भूमि क्रय की गयी है वह अन्यत्र कहीं हो सकती है। जिला कलक्टर, उदयपुर का उक्त निर्णय बिना किसी विवेचन के पारित निर्णय है तथा आख्यापक एवं साक्ष्यों पर आधारित नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों में हम अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बड़गांव एवं जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णयों को प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण पाते हैं। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर की अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 11-01-2018 एवं उप तहसीलदार बड़गांव का निर्णय दिनांक 06-03-2017 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा साक्ष्यों का विश्लेषण कर सुनिश्चित करें कि पंचायत को आवंटित साबिक आराजी नंबर 2451 व 2646 आबादी क्षेत्र की भूमि का पश्चातवर्ती कोई आवंटन निरस्त तो नहीं किया गया है तथा अपीलान्ट के द्वारा पेश शुदा राजकीय रेकार्ड की प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर साबिक आवंटित भूमि से ही वर्तमान आराजी नंबर 2983 बने होने की प्रथम दृष्टया मिलान क्षेत्रफल की साक्ष्य उपलब्ध होने से स्वयं एक दल के साथ जांच कर प्रथम दृष्टया इन्द्राज दुरस्ती का प्रकरण बनने से इन्द्राज दुरस्ती कराने अथवा बाद जांच प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही कर निर्णय पारित करें।''

उक्त निर्णय दिनांक 12.07.2018 एवं हस्तगत प्रकरण से सम्बन्धित आराजी संख्या 2983 एवं विवाद की विषयवस्तु एक ही है, जिसके सम्बन्ध में उपतहसीलदार बड़गावं द्वारा धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की गई और उक्त कार्यवाही के अनुसरण में जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही को यथावत रखने

का निर्णय लिया। जिला कलक्टर, उदयपुर निर्णय के विरूद्ध दोनों प्रकरणों (हस्तगत प्रकरण एवं मैसर्स शिवगंगा मिनरल्स) के अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त प्रकरणों में से मेसर्स शिवगंगा मिनरल्स द्वारा प्रस्तुत अपील का निस्तारण न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर (संक्षिप्त में RAA, उदयपुर) द्वारा उक्त निर्णय 12.07.2018 से किया गया और हस्तगत प्रकरण राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में उक्त पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में प्राप्त हुई। ऐसे में हस्तगत प्रकरण व न्यायालय RAA, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय 12.07.2018 की एक ही विषयवस्तु होने से पारित निर्णय के आलोक में इस न्यायालय में लम्बित अपील का गहनता से अध्ययन किया गया और पाया कि वर्तमान आराजी नंबर 2983 में साबिक आराजी नंबर 2451 एवं 2646 शामिल है तथा साबिक आराजी नंबर 2451 एवं 2646 ग्राम पंचायत भुवाणा को आबादी विकास हेतु आवंटित की गयी है। उप तहसीलदार बड़गांव द्वारा स्वयं मौके की जांच कर साबिक आराजी नंबरों का वर्तमान नंबरों से मिलान बाबत् पुष्टि नहीं की गयी है। साथ मिलान क्षेत्रफल के दर्शित तथ्यों पर गौर नहीं किया गया है। निर्णय दिनांक 12.07.2018 से यह प्रकट होता है कि वर्तमान आराजी नंबर 2983 निसंदेह पंचायत को आबादी प्रयोजनार्थ आवंटित आराजी नंबर 2451 व 2646 शामिल हैं। ऐसी स्थिति मे इस न्यायालय का भी यह मत है कि उप तहसीलदार बड़गांव राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते विधि सम्मत जांच करवाकर वांछनीय होने पर उसकी दुरस्ती करवाते, न कि वर्तमान प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण प्रविष्टि को उपलब्ध साक्ष्यों को नजर अंदाज कर सिर्फ भूमि का वर्तमान में चारागाह दर्ज होने के आधार पर, सिर्फ उसे आधार मानकर बिना जांच किये उपलब्ध साक्ष्यों को नजर अंदाज कर सिर्फ कयासी आधार पर आपत्तियों को अन्य किसी आबादी भूमि से सम्बन्धित हो सकती है, का अंकन कर सरसरी तौर से निर्णय पारित किया है। उप तहसीलदार द्वारा स्वयं के स्तर पर प्रकरण में विस्तृत जांच अपेक्षित थी, जो उसके द्वारा नहीं की गई। ऐसे में उप तहसीलदार द्वारा पारित तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होकर साक्ष्यों के विवेचन के बिना पारित निर्णय है। इसी निर्णय का अनुसरण करते हुए जिला कलक्टर, उदयपुर प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तथ्यों का अवलोकन किये बिना अपीलार्थी की अपील बिना किसी आधार के खारिज कर दी। सिर्फ यह विवेचित किया है कि यह भूमि चारागाह भूमि है, जिसका नियमन नहीं किया जा सकता, यह पट्टे अन्य किसी आबादी भूमि के ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये होगें। जबकि अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष प्रार्थना पत्र 41 नियम 27 सपठित 151 जादी मय दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया। अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का निस्तारण किये बिना आदेश पारित कर दिया जिसका निस्तारण विधि के सुसंगत आज्ञापक प्रावधानों अनुसार आवश्यक है। जिला कलक्टर, उदयपुर का उक्त निर्णय बिना किसी विवेचन के पारित निर्णय है तथा आख्यापक एवं साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय 24.07.2017 इसी आराजी संख्या 2983 के सम्बन्ध में न्यायालय RAA, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय 12.07.2018 एवं इस न्यायालय की उपरोक्त विवेचन के आलोक में तथ्यात्मक एवं विधिक रूप त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर की अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 24.07.2017 एवं उप तहसीलदार बड़गांव का निर्णय दिनांक 21.11.2016 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा, RAA, उदयपुर के निर्णय दिनांक 12.07.2018 एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण कर सुनिश्चित करें कि पंचायत को आवंटित साबिक आराजी नंबर 2451 व 2646 आबादी क्षेत्र की भूमि का पश्चातवर्ती कोई आवंटन निरस्त तो नहीं किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली पर अपीलान्ट के द्वारा पेश शुदा राजकीय रेकार्ड की प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर साबिक आवंटित भूमि से ही वर्तमान आराजी नंबर 2983 बने होने की प्रथम दृष्टया मिलान क्षेत्रफल की साक्ष्य उपलब्ध होने से स्वयं एक दल के साथ जांच कर प्रथम दृष्टया इन्द्राज दुरस्ती का प्रकरण बनने से इन्द्राज दुरस्ती कराने अथवा बाद जांच प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही कर निर्णय पारित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर